110. 6 पूँजीगत व्यय करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल को शक्तियों का प्रत्यायोजन

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता देने के लिए और वर्ष 1997–98 के लिए बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, सरकार से पूर्व अनुमोदन लिए बिना सार्वजनिक उद्यमों के बोर्ड को अपने उद्यम में पूंजीगत परिव्यय की मंजूरी देने की प्रत्यायोजित शक्तियों में सरकार द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है। यह तारीख 20.8.86 के कार्यलय ज्ञापन सं. लो. उ. ब्यू./1(64)/अग्रिम(एफ)/78 के द्वारा पहले के निर्देश का अधिक्रमण है। बढ़ाई हुई प्रत्यायोजित शक्तियाँ इस शर्त के साथ है कि संबंधित उद्यम लाभ कमाने वाला हो।

2. इसके अतिरिक्त प्रत्यायोजन निम्नलिखित के अधीन होगाः

(क) अनुमोदित पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में परियोजना का समावेश और उसके लिए तैयार परिव्यय।

(ख) अपेक्षित निधियाँ कम्पनी के आंतरिक संसाधनों से प्राप्त की जा सकती है और खर्च सरकार द्वारा अनुमोदित **पूँजीगत बजट में सम्मिलित योजनाओं पर पर किया गया हो।**

कुल ब्लॉक	सरकार से पूर्व अनुमति के बिना व्यय को मंजूरी देने की शक्ति	
	वर्तमान	संशोधित
100 करोड़ रूपए से कम	5 करोड़ रू.	10 करोड़ रू.
100 करोड़ रू. और 200 करोड़ रूपए के बीच	10 करोड़ रू.	20 करोड़ रू.
200 से 500 करोड़ रूपए के बीच	20 करोड़ रू.	40 करोड़ रू.
500 करोड़ रू. से अधिक	–	100 करोड़ रू.

3. पिछले प्रकाशित तुलन–पत्र में दर्शाए गए के अनुसार शब्द 'कुल ब्लॉक' को नियत परिसंपत्ति और चल रहे पूँजीगत कार्य के रूप में माना जाएगा।

4. इस प्रत्यायोजन के उद्देश्य के लिए लाभ कमाने वाले उद्यम वे होंगे जिन्होंने तीन पूर्ववर्ती वर्षों में लाभ दिखाया है और जिनका धनात्मक निवल मूल्य हो।

5. यह निर्देश जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

6. यह निर्देश वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किए जा रहे हैं।

(लो. उ. वि. का 6 मई, 1997 का कार्यालय ज्ञापन सं. 16/22/90–वित्त जी–1)